18/5/19

स्थगित किया गया है तथा पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 14/5/19 को पेश हो।

14/5/19 पत्रावली प्रस्तुत/पीठासन अधिकारी मुख्यालय
दौरे पर / ~~[illegible]~~ है। अतः
पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 28/6/19
को पेश हो।

28/6/19 पत्रावली पेश हुई। तामील
व तामील वकील उपस्थित नहीं है
बार-बार तामील दिलाने पर भी
कोई उपस्थित नहीं आया है
अतः तामील प्रार्थना
पत्र धारा 212 रा.प्र.नि. का अग्रिम
हाजरी अग्रिम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली ऊ० शमार होकर
अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner